पत्रिका

#contemptpetition हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर नर्स ने दायर की है अवमानना याचिका

संविदा नर्स को मातृत्व अवकाश का वेतन न देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत नर्स को मातृत्व अवकाश का वेतन भुगतान न करने पर कड़ी आपत्ति की है। सिंगल बेंच ने शासन से पूछा कि पूर्व में कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया। स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2025 के सप्ताह में होगी।

न्यायालय ने पूर्व में इस प्रकरण में कहा था कि मातृत्व और शिशु की गरिमा के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसे प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा जा सकता।

कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मातृत्व अवकाश वेतन की मांग पर नियमानुसार तीन माह के माह के भीतर निर्णय लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी मातृत्व अवकाश का वेतन न मिलने पर पीड़ित नर्स ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

यह है मामला

याचिकाकर्ता राखी वर्मा, जिला अस्पताल, कबीरधाम में स्टाफ नर्स के रूप में संविदा पर कार्यरत हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। इसे स्वीकृत कर लिया गया। उन्होंने 21 जनवरी 2024 को एक कन्या को जन्म दिया और 14 जुलाई 2024 को पुनः ड्यूटी ज्वाइन की। इसके बावजूद, उन्हें मातृत्व अवधि का वेतन नहीं दिया गया। इससे उन्हें और उनके नवजात को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने 25 फरवरी 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वेतन की मांग का आवेदन दिया। कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

मेडिकल स्टूडेंट फेंक रहे भोजन के पैकेट, सिम्स परिसर में गंदगी पर हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

डीन को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश, 18 को अगली सुनवाई

सिम्स परिसर में मेडिकल छात्रों द्वारा पॉलीथिन में खाना फेकने पर हो रही गंदगी पर हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए सिम्स के डीन से शपथपत्र पर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस जानकारी पर नाराजगी जताई कि, मेडिकल कॉलेज छात्रवास के बाहर स्टूडेंट्स पालीथीन के पैकेट्स में खाना फेंक रहे हैं। इससे परिसर में बहुत गंदगी हो रही है। इसे संज्ञान में लेकर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने शासन से कहा कि आप किस तरह का भोजन दे रहे हैं, जिसे स्टूडेंट्स उसे फेंक रहे हैं। सुनवाई में उपस्थित महाधिवक्ता पीएन भारत ने कोर्ट को बताया कि मेस में अच्छा भोजन बनाया जाता है। होस्टल के छात्र बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, उसके बचे हिस्से ही यह लोग बाहर फेंक रहे हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि, इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। डीबी ने इस मसले पर सिम्स के डीन को शपथपत्र पर जवाब देने कहा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।